निविदा की अनुसूची (एसओटी)

1.	**ई – निविदा संख्या / इवैंट संख्या**	भारिबै/केका/कॉसेवि/सं.1/2018-2019
2.	**निविदा की पद्धति**	ई – प्रोक्योरमेंट प्रणाली भाग I - **तकनीकी बोली** का ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण और भाग II – **मूल्य बोली** का http://www.mstcecommerce.com/eprochome/mstc के जरिए प्रस्तुतीकरण अभिप्रेत बोलीकर्ताओं से अपेक्षित है कि वे अपने प्रस्ताव इस ई – निविदा पोर्टल के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करें । **भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कोई भी तकनीकी / मूल्य बोली भौतिक रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।**
3.	**भारिबैं की वैबसाइट और प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से ई-टेंडर के प्रकाशन की तिथि**	**29 मई 2019**
4.	**डाउनलोड करने के लिए विक्रेताओं को एनआईटी की उपलब्धता की तिथि**	**29 मई 2019 को 11:00 बजे**
5	**http://www.mstcecommerce.com/eprochome/mstc पर ऑनलाइन तकनीकी और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए ई-टेंडर शुरू करने की तिथि**	**29 मई 2019 को 11:00 बजे**
6	**तकनीकी और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन ई-टेंडर बंद करने की तिथि**	**19 जून 2019 को 17:00 बजे**
7	**भाग I (तकनीकी बोली) खोलने की तिथि और समय**	**20 जून 2019 को 15:00 बजे**
8	**भाग II (मूल्य बोली) खोलने की तिथि और समय**	**24 जून 2019 को 11:00 बजे**
9	**बयाना जमा-राशि (ईएमडी)**	**"भारतीय रिज़र्व बैंक" के पक्ष में मुंबई में देय रु. 3 लाख के डिमांड ड्राफ्ट के रूप में (बयाना जमा**

		राशि एक अलग लिफाफे में, तकनीकी बोली के साथ)। असफल बोलीकर्ताओं द्वारा जमा की गई बयाना जमा-राशि को तकनीकी मूल्यांकन के पश्चात तुरंत वापस कर दिया जाएगा । तथापि, चार सफल बोलीकर्ताओं द्वारा जमा की गई बयाना जमा-राशि को समतुल्य राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के बाद वापस किया जाएगा।
10	**लेन-देन शुल्क (राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण के माध्यम से एमएसटीसी को भुगतान किया जाना)**	**रु.1,500/- मात्र**
11.	**बोली पूर्व बैठक की तिथि व समय**	**04 जून 2019 को 15:00 बजे**

ध्यान दें:

1. उपरोक्त दिनों में से किसी भी दिन अप्रत्याशित रूप से काम बंद होने/ छुट्टी होने की स्थिति में, अगले कार्य दिवस पर इसे खोला / आयोजित किया जाएगा।

2. बोलीकर्ताओं को अपनी निविदाएँ ऑनलाइन **19 जून 2019 को 17:00 बजे** तक या उससे पूर्व जमा करनी होंगी ।

3. निविदा खोलने की तिथि को केवल तकनीकी भाग ही खोला जाएगा ।

4. नियत तिथि और समय के बाद प्राप्त निविदाएं अस्वीकार कर दी जाएंगी।

5. बोली लगाने के दस्तावेजों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने वाली निविदाएं अस्वीकार किए जाने योग्य हैं।

ई-प्रोक्योरमेंट के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

बोलिकर्ताओं से अनुरोध है कि वे ऑनलाइन निविदा जमा करने से पहले इस निविदा के नियमों और शर्तों को ध्यान से पढ़ें।

क्रम संख्या	प्रक्रिया
1	**ई-टेंडर की प्रक्रिया**: क) पंजीकरण: इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के साथ विक्रेता का पंजीकरण शामिल है जो कि नि:शुल्क है। केवल पंजीकरण के बाद ही, विक्रेता इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी बोलियां जमा कर सकते हैं। तकनीकी और मूल्य बोली जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली इंटरनेट पर की जाएगी। विक्रेता के पास तृतीय श्रेणी का साइनिंग टाइप का डिजिटल प्रमाण पत्र होना चाहिए। विक्रेताओं को बोली लगाने के लिए इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर की अपनी स्वयं व्यवस्था करनी है। भारिबै/एमएसटीसी ऐसी व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। (डिजिटल हस्ताक्षर के बिना बोलियां रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी)। **विशेष लेख: तकनीकी और मूल्य बोली www.mstcecommerce.com/eprochome/rbi पर ऑन-लाइन जमा करनी होगी ।** 1). विक्रेताओं को खुद को निम्न के साथ ऑनलाइन रजिस्टर करना आवश्यक है www.mstcecommerce.com → ई-प्रोक्योरमेंट → पीएसयू / सरकारी विभाग → भारिबै का लोगो चुनें – विक्रेता के रूप में रजिस्टर करें →विवरण भरें और अपना यूजर आईडी तथा पासवर्ड बनाएं → जमा करें। 2). विक्रेताओं को उनके पंजीकरण की पुष्टि करने वाला एक सिस्टम जनरेटेड मेल उनके द्वारा पंजीकरण फॉर्म भरने के दौरान प्रदान किए गए ईमेल पर प्राप्त होगा । किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में कृपया भारिबै / एमएसटीसी से (ई-टेंडर के निर्धारित समय से पहले) संपर्क करें।

	संपर्क व्यक्ति (भा रि बै): 1. श्री सुनील गुप्ता (सहायक महाप्रबंधक): 022-22644031 (sunilgupta@rbi.org.in) 2. श्रीमती चित्रा एस पाटणकर (प्रबंधक): 022 22603223 (cpatankar@rbi.org.in) 2. श्री विनोद एम टी (स प्र): 022-22603639 (vinodmt@rbi.org.in) **संपर्क व्यक्ति (एम एस टी सी लिमिटेड):** 1. सुश्री अर्चना, सहायक प्रबंधक - archana@mstcindia.co.in - मोबाइल- 09990673698 2.सुश्री रूपाली पांडे, सहायक प्रबंधक- rpandey@mstcindia.co.in - मोबाइल -9458704037 3. श्री अभिषेक कनौजिया, एक्सिक्यूटिव - मोबाइल - 9953089772 4. हेल्पडेस्क - लैंडलाइन - 022 22870471/22886266/03322901004 **गूगल हैंगआउट आईडी**- (टेक्स्ट चैट के लिए) - mstceproc@gmail.com ख) प्रणाली की आवश्यकता: i) विंडोज 7 या उससे ऊपर का ऑपरेटिंग सिस्टम ii) आईई -7 और ऊपर का इंटरनेट ब्राउज़र। iii) साइनिंग टाइप का डिजिटल हस्ताक्षर iv) नवीनतम अपडेट किए गए जेआरई 8 (x86 ऑफलाइन) सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना और सिस्टम में स्थापित किया जाना। कॉर्पोरेट सेवा विभाग को साइनर बॉक्स में लाने हेतु "संरक्षित मोड" को निष्क्रिय करने के लिए निम्नलिखित सेटिंग्स को लागू करें । • टूल्स => इंटरनेट विकल्प => सुरक्षा => संरक्षित मोड अक्षम करें, यदि सक्षम है - अर्थात, "संरक्षित मोड सक्षम करें" के समक्ष टिक बॉक्स से टिक हटा दें । • अन्य सेटिंग: टूल्स => इंटरनेट विकल्प => सामान्य => "ब्राउजिंग हिस्ट्री / डिलीट ब्राउजिंग हिस्ट्री" के तहत सेटिंग्स पर क्लिक करें => अस्थाई इंटरनेट फाइलें => "हर बार जब मैं वेबपेज पर जाता हूं"

	सक्रिय करें। सभी सक्रिय एक्स नियंत्रणों को सक्षम करने और टूल्स के तहत 'यूस पॉप अप ब्लॉकर' को अक्षम करने के लिए → इंटरनेट विकल्प → कस्टम लेवेल (कृपया www.mstcecommerce.com पेज से एक बार आईई सेटिंग्स चलाएँ)
2.	तकनीकी बोली और मूल्य बोली को www.mstcecommerce.com/eprochome/mstc पर ऑनलाइन अपलोड करना होगा। निविदा में विनिर्दिष्ट तारीख और समय के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक रूप से निविदाएं खोली जाएंगी।
3.	निविदा में सभी प्रविष्टियों को बिना किसी अस्पष्टता के ऑनलाइन तकनीकी बोली और मूल्य बोली फॉर्मेट्स में दर्ज किया जाना चाहिए।
4	लेन-देन शुल्क के लिए विशेष नोट: विक्रेता, वेंडर लॉग इन में "माई मेनू" के तहत "लेन-देन शुल्क भुगतान" लिंक का उपयोग करके लेन-देन शुल्क का भुगतान करेंगे । विक्रेताओं को इवेंट ड्रॉपडाउन बॉक्स से विशिष्ट निविदा का चयन करना होगा। विक्रेता के पास भुगतान करने की सुविधा या तो एनईएफटी से या ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से होगी। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) का चयन करने पर, विक्रेता एक फॉर्म भरकर एक चालान तैयार करेगा। विक्रेता चालान में मुद्रित विवरण के अनुसार उसमें कोई परिवर्तन किए बिना लेन-देन शुल्क की राशि भेजेगा। ऑनलाइन भुगतान का चयन करने पर, विक्रेता को अपने क्रेडिट / डेबिट कार्ड / नेट बैंकिंग का उपयोग कर भुगतान करने का प्रावधान होगा। एक बार भुगतान एमएसटीसी के नामित बैंक खाते में जमा हो जाने के बाद, लेन-देन शुल्क स्वतः अधिकृत हो जाएगा और विक्रेता को एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा। **लेन-देन शुल्क वापस करने योग्य नहीं है।** लेन-देन शुल्क का भुगतान किए बिना विक्रेता/बोलीकर्ता की ऑनलाइन ई-निविदा तक पहुंच नहीं होगी। **ध्यान दें:** बोलीकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे इवेंट के समापन समय से काफी पहले लेनदेन शुल्क भेज दें ताकि बोली जमा करने हेतु खुद को पर्याप्त समय दे सकें।

5	निविदा को अंतिम रूप से विनिश्चित किए जाने तक की प्रक्रिया के दौरान अपलोड की गई निविदाओं / शुद्धि पत्र की जानकारी केवल ईमेल द्वारा भेजी जाएगी। इसलिए विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उनके द्वारा सूचित की गई कॉर्पोरेट ई-मेल आईडी एमएसटीसी के साथ विक्रेता के पंजीकरण के समय वैध और अद्यतन हो। विक्रेताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डीएससी (डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट) की वैधता सुनिश्चित करें।
6	इस निविदा के लिए सूचना में उल्लिखित नियत तिथि और समय के बाद ई-निविदा तक नहीं पहुंचा जा सकता है।
7	ई-निविदा में बोली लगाना : क) विक्रेता(ओं) को ई-निविदा में ऑनलाइन बोली लगाने हेतु पात्र होने के लिए यह अपेक्षित वे आवश्यक बयाना जमा राशि (ईएमडी), लेनदेन शुल्क जमा कर दें। बयाना जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल विक्रेता (ओं) की बयाना जमा राशि वापस कर दी जाएगी। ख) इस प्रक्रिया में तकनीकी और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोलियाँ शामिल हैं। ग) जिन विक्रेता(ओं) ने लेन-देन शुल्क जमा किया है केवल वे ही एमएसटीसी वेबसाइट पर इंटरनेट के माध्यम से अपनी तकनीकी बोली और मूल्य बोली जमा कर सकते हैं। www.mstcecommerce.com → ई-प्रोक्योरमेंट → पीएसयू / सरकारी विभाग → आरबीआई के तहत लॉग इन करें → माई मेनू → नीलामी फ्लोर मैनेजर → लाइव इवेंट → लाइव इवेंट का चयन करें। घ) विक्रेता को जावा एप्लिकेशन चलाने की अनुमति देनी चाहिए। यह अभ्यास बिड फ्लोर खोलने के तुरंत बाद किया जाना है। फिर उन्हें कॉमन टर्म्स / कमर्शियल स्पेसिफिकेशन भरना होगा और उसे ही सेव करना होगा। इसके बाद तकनीकी बोली पर क्लिक करें। **यदि यह एप्लिकेशन नहीं चलती है, तो विक्रेता तकनीकी बोली को सेव / जमा नहीं कर सकेगा।** ङ) तकनीकी बोली भरने के बाद, विक्रेता को अपनी तकनीकी बोली दर्ज करने के लिए 'सेव' पर क्लिक करना चाहिए। एक बार ऐसा करने के बाद, मूल्य बोली का लिंक सक्रिय हो जाता है और

	उसी को भरना होगा और फिर वेंडर को अपनी मूल्य बोली रिकॉर्ड करने के लिए "सेव" पर क्लिक करना चाहिए। फिर एक बार तकनीकी बोली और मूल्य बोली दोनों सेव कर लेने के बाद, विक्रेता अपनी बोली दर्ज करने के लिए "अंतिम सबमिशन" बटन पर क्लिक कर सकते हैं। च) विक्रेताओं को अनुदेश दिया जाता है कि वे दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए "अटैच डॉक बटन" का उपयोग करें। कई दस्तावेज अपलोड किए जा सकते हैं। छ) सभी मामलों में, विक्रेता को अपनी बोली प्रस्तुत करते समय अपनी आईडी और पासवर्ड के साथ डिजिटल हस्ताक्षर उपयोग करना चाहिए। ज) पूरी ई-टेंडर प्रक्रिया के दौरान, विक्रेता एक-दूसरे के साथ और हर किसी के लिए पूरी तरह गुमनाम रहेंगे। झ) ई-टेंडर फ्लोर पूर्व-घोषित तिथि और समय से और ऊपर बताई गई अवधि के दौरान खुला रहेगा ञ) ई-टेंडर प्रक्रिया के दौरान अपलोड की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां कानूनी रूप से विक्रेता के लिए बाध्यकारी होंगी। किसी भी बोली को उस विक्रेता द्वारा दी जाने वाली वैध बोली माना जाएगा और भा रि बै द्वारा उसे स्वीकार किए जाने पर वह उस कार्य के निष्पादन हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक और विक्रेता के बीच एक बाध्यकारी संविदा हो जाएगी। त) यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र के साथ अपलोड की जाएं अन्यथा सिस्टम द्वारा स्वीकार नहीं की जाएंगी । थ) भारतीय रिज़र्व बैंक, बिना कोई कारण बताए, किसी भी निविदा को पूर्णतः या आंशिक रूप से, जैसा भी मामला हो, रद्द या अस्वीकार या स्वीकार करने या वापस लेने या विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। द) निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों में कोई विचलन स्वीकार्य नहीं है। ध) किसी भी विक्रेता द्वारा ई-निविदा फ्लोर में बोली प्रस्तुत करना उसके द्वारा निविदा के लिए नियम और शर्तों की स्वीकृति की पुष्टि करता है।
8	इस निविदा से उत्पन्न कोई भी आदेश उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा।
9.	विक्रेताओं से अनुरोध है कि वे विक्रेता गाइड पढ़ें और एमएसटी सी वेबसाइट पर उपलब्ध वीडियो देखें

1. परिचय

भारतीय रिज़र्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार एक निगमित निकाय है, जिसके कार्यालय (लगभग 30) अधिकांशतः राज्य की राजधानियों में हैं। इसके अतिरिक्त, इसके 32 केंद्रीय कार्यालय विभाग हैं जो मुंबई में स्थित हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक का उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई टिकटों और शुरू में ट्रेन टिकटों की खरीद तथा अन्य संबन्धित सेवाओं के लिए 01 जुलाई 2019 से 30 जून 2022 की अवधि के लिए **चार** अनुभवी यात्रा (ट्रैवल) एजेंसियों को नियुक्त करने का है, जिसे केवल भा रि बैंक के विवेक पर पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों पर एक वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ाया जा सकता है बशर्ते कि एजेंसी(यों) द्वारा संविदा का संतोषजनक निष्पादन किया गया हो ।

2. कार्य का क्षेत्र

मोटे तौर पर, एजेंसी कार्यालय समय / छुट्टियों के दौरान, कार्यालय समय के बाद (एजेंसी के खर्चे पर) टिकटों की बुकिंग / प्रतीक्षाधीन (वेटलिस्टेड) टिकटों की पुष्टि, टिकटों को जारी करना / उनका वितरण / निरसन (रद्द करना)/ उन्नयन (अपग्रेडेशन) करना/ टिकटों और दस्तावेजों का पुनर्वैधीकरण करना; रद्द करने के लिए टिकटों को प्राप्त करना, वीज़ा, पासपोर्ट प्राप्त करना सुनिश्चित करेगी। संक्षिप्त में एजेंसी के कार्य का क्षेत्र इस प्रकार है:

(क) सेवाएं भारतीय रिज़र्व बैंक के सभी कार्यालयों को और बैंक के संबंधित अधिकारी के निर्देशों के अनुसार प्रदान की जाएंगी।

(ख) प्री-पेड टिकट सहित घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय एयर टिकट और ट्रेन टिकट (ई-टिकट / काउंटर पर) बुक करना और जारी करना।

(ग) नया पासपोर्ट/नवीकरण जारी करने/प्राप्त करने और विविध पासपोर्ट संबंधित सेवाओं के लिए सहायता।

(घ) दूतावासों में वीजा प्राप्त करने और पासपोर्ट जमा करने के लिए सहायता।

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार विदेशी मुद्रा जारी करना। एजेंसियों के पास विदेशी मुद्रा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी वैध लाइसेंस होना चाहिए।

(च) एयर टिकट और ट्रेन टिकटों की बुकिंग / रद्द करने के लिए एजेंसी हर समय उपलब्ध रहना होगा ।

(छ) संबंधित भारिबैं के कार्यालयों में टिकटों और यात्रा दस्तावेजों की सुपुर्दगी इंटरनेट / मेल के माध्यम से या जैसा कि निर्देशित किया जाए, जिसके लिए खर्च एजेंसी द्वारा वहन किया जाएगा।

(ज) 24 घंटे x 7 दिनों के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक को यात्रा सेवाएँ प्रदान करना।

3. पात्रता

i. ट्रैवल एजेंसी को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।

ii. बोलीकर्ता पिछले पांच वर्षों से टूर्स एंड ट्रेवल्स (डोमेस्टिक / इंटरनेशनल एयरलाइंस और रेलवे टिकट) में लगी हुई कंपनी / फर्म होगी ।

iii. एजेंट के पास अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (आईएटीए) का प्राधिकार होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (आईएटीए) से प्राधिकृत होने के प्रमाण स्वरूप संबंधित दस्तावेज़ अपलोड किया जाना चाहिए।

iv. बोलीकर्ता का पिछले 3 वर्षों अर्थात 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए कॉर्पोरेट एयर टिकटिंग व्यवसाय से रुपये 100 करोड़ का औसत वार्षिक व्यापारावर्त (कारोबार) होना चाहिए। उन्हें न्यूनतम वार्षिक व्यापारावर्त के संबंध में सनदी लेखाकार (चार्टेड एकाउंटेंट) से प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षित तुलन पत्र / लाभ और हानि खाते अपलोड करना चाहिए।

v. एजेंसी को लाभ कमाने वाली इकाई होना चाहिए और पिछले तीन वर्षों दौरान अर्थात 2015-16 से 2017-18 तक नुकसान में नहीं होना चाहिए (दस्तावेज साक्ष्य जैसे तुलन पत्र, आय-कर रिटर्न को प्रमाण स्वरूप अपलोड किया जाना चाहिए)। नुकसान वाली इकाइयाँ सूचीबद्ध होने के लिए पात्र नहीं होंगी।

vi. यात्रा (ट्रैवल) एजेंसी को भारत में कम से कम तीन एयरलाइंस का प्रत्यक्ष एजेंट होना चाहिए। अधिक एयरलाइंस के साथ एजेंसी रखने के लिए उचित भारांक दिया जाएगा।

vii. एजेंसी को कम से कम 5 संस्थानों / कॉरपोरेट्स के साथ सूचीबद्ध होना चाहिए। अधिक के साथ सूचीबद्ध एजेंसियों को उचित भारांक दिया जाएगा।

viii. बोलीकर्ता ने पिछले 3 (तीन) वर्षों के दौरान में समान कार्य के लिए के कम से कम 3 (तीन) आदेशों को निष्पादित किया हो, जिसमें से 1 (एक) आदेश सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम/सार्वजनिक या पिछले 3 (तीन) वित्तीय वर्षों (अर्थात वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18) में एक संगठन में रुपये 10 करोड़ या उससे अधिक मूल्य की या 2 (दो) संगठनों में प्रत्येक रुपये 6 करोड़ से अधिक मूल्य की निजी लिमिटेड कंपनी होना चाहिए। (दस्तावेजी साक्ष्य अपलोड किए जाएं)।

ix. यात्रा एजेंसी के पास अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए विदेशी मुद्रा प्रदान करने की सुविधा / व्यवस्था होनी चाहिए। **विदेशी मुद्रा लाइसेंस वाली एजेंसी को अधिक भारांक दिया जाएगा।** एजेंसी को क्रेडिट दिवस, विदेशी मुद्रा की व्यवस्था, यात्रा बीमा सेवा, वीज़ा व्यवस्था और संबंधित कार्य की सेवाएं सर्व भारत के आधार पर प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए।

x. भा रि बैं के शीर्ष अधिकारियों के लिए बोलीकर्ता को हवाई अड्डे की सहायता सेवाएँ (मिलना और सहायता) प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए।

xi. बोलीकर्ता के पास वैध पैन नंबर और वस्तु एवं सेवा कर नंबर होना चाहिए।

xii. बोलीकर्ता के पास 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर होने चाहिए और वह 365 दिनों के लिए 24 घंटे सेवा प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए।

xiii. एजेंसी को हवाई टिकट / ट्रेन टिकट / वीजा / पासपोर्ट के लिए प्रशासन प्रभाग के अधिकृत व्यक्ति से या भा रि बैं द्वारा टिकट की मांग करने हेतु नामित किसी भी व्यक्ति से मांग लेने में सक्षम होना चाहिए। अनधिकृत अनुरोधकर्ता की मांग पर लिए गए किसी भी टिकट को भुगतान के लिए विचार

नहीं किया जाएगा। काम के तौर-तरीके पारस्परिक चर्चा से तय किए जाएंगे। भा रि बैं को भेजे गए ई-टिकट की विषय पंक्ति में में यात्री का नाम, सेक्टर और दिनांक होना चाहिए। ईमेल को अधिकृत अनुरोधकर्ता और यात्री को भेजा जाना चाहिए।

xiv. एजेंसी को पूरे डेटा सुरक्षा के लिए अधिमानतः आईएसओ / आईईसी 27000 अनुपालन / प्रमाणन होना चाहिए।

xv. भा रि बैं जब कभी सेल्फ बुकिंग टूल (एस बी टी) का चयन करने का निर्णय लेता है, तो एजेंसी यथाशीघ्र भा रि बैं की आवश्यकताओं के अनुसार सेल्फ बुकिंग टूल को अनुकूलित करेगी, बाहरी सीमा भा रि बैंक द्वारा संबन्धित डेटा साझा करने के एक महीने के भीतर हो सकती है। एजेंसी को बैंक द्वारा निर्दिष्ट फार्मेट में फाइलों सहित ऑनलाइन बिल जमा करने में सक्षम होना चाहिए।

xvi. यात्रा एजेंसी **चार सप्ताह** तक क्रेडिट सुविधा प्रदान करने की स्थिति में होनी चाहिए।

भा रि बैं बोलीकर्ता का क्षमता मूल्यांकन करने का अधिकार रखता है और उसका निर्णय इस संबंध में अंतिम होगा।

4. संविदा अवधि का कार्यकाल

प्रस्तावित संविदा 01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2022 तक की अवधि के लिए वैध होगी, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक एकमात्र विवेक पर पारस्परिक सहमत नियम और शर्तों के अधीन एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है बशर्ते यात्रा एजेंसी द्वारा संविदा का संतोषजनक कार्य निष्पादन किया गया हो।

5. प्रस्ताव की वैधता

प्रस्तावों को प्रस्तुत समझने की वैधता हेतु निम्नलिखित पर विचार किया जाएगा:

क. प्रस्ताव खोलने की तिथि से 90 दिनों की अवधि तक वैध रहेगा।

ख. प्रस्ताव जो कम अवधि के लिए वैध है, उसे भारतीय रिज़र्व बैंक प्रतिक्रिया-विहीन मान कर अस्वीकार करने का अधिकार रखता है ।

ग. भारतीय रिज़र्व बैंक असाधारण परिस्थितियों में, वैधता की अवधि बढ़ाने हेतु बोलीकर्ता से सहमति का अनुरोध कर सकता है। अनुरोध और उसकी प्रतिक्रिया लिखित रूप में की जाए ।

6. किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार

भारतीय रिज़र्व बैंक बिना कोई कारण बताए और प्रभावित बोलीकर्ता (ओं) के प्रति किसी भी दायित्व को स्वीकार किए बिना या प्रभावित बोलीकर्ता (ओं) को इस निर्णय के कारणों की सूचना देने की बाध्यता स्वीकार किए बिना, किसी भी समय, निविदा प्रक्रिया को बातिल करने, किसी या सभी प्रस्तावों को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।

7. प्रतिभूति जमा

रुपये 3 लाख/- (बयाना जमा राशि एक अलग लिफाफे में तकनीकी बोली का भाग होगी) 'भारतीय रिज़र्व बैंक' के पक्ष में आहरित मुंबई में देय मांग ड्राफ्ट द्वारा जमा की जाएगा । असफल बोलीकर्ताओं की बयाना जमा राशि तकनीकी मूल्यांकन के बाद तुरंत वापस कर दी जाएगी । सफल बोलीकर्ता (ओं) द्वारा जमा की गई बयाना जमा राशि, समान राशि की बैंक गारंटी जमा करने पर वापस की जाएगी तथा उसे प्रतिभूति जमा के रूप में रोक रखा जाएगा ।

8. प्रस्ताव की तैयारी

प्रस्ताव की तैयारी के दौरान बोलीकर्ता को निम्नलिखित अनुदेशों का पालन करना चाहिए:
क. बोलीकर्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निविदा दस्तावेज़ के सभी अनुदेशों, दिशानिर्देशों, नियमों और शर्तों और फार्मेट्स को ध्यान से पढें। निविदा दस्तावेज द्वारा वांछित सभी आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने में विफलता या निविदा दस्तावेज की सभी अपेक्षाओं के प्रति अपर्याप्त रूप से उत्तरकारी प्रस्ताव प्रस्तुत करना बोलीकर्ता के जोखिम पर होगा और अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगा है।
ख. किसी भी बोलीकर्ता को प्रस्ताव जमा करने के बाद संशोधित करने, बदलने या वापस लेने की अनुमति नहीं है।

9. प्रस्ताव प्रस्तुत करना

बोलीकर्ताओं को अपने प्रस्ताव निविदा की अनुसूची (एसओटी) में प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु दी गई अंतिम तिथि व समय पर या उससे से पूर्व जमा करने होंगे । प्रस्तावों के साथ कोई असम्बद्ध या फ़ालतू दस्तावेज नहीं होना चाहिए। प्रस्ताव दो भागों में नीचे दिए विवरण के अनुसार प्रस्तुत किए जाएंगे :

भाग- I: निविदा की अनुसूची (एसओटी) में दी गई तारीख और समय के अनुसार तकनीकी बोली इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोली जाएगी। बोलीकर्ता इलेक्ट्रॉनिक रूप से बोली खोले जाने को ऑनलाइन देख सकते हैं।
भाग- II: मूल्य बोली इलेक्ट्रॉनिक रूप से केवल उन्हीं बोलीकर्ता (ओं) के लिए खोली जाएगी, जिनका भाग – I तकनीकी बोली भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकार्य पाई गई हो। ऐसे बोलीकर्ताओं को उनके वैध ईमेल के माध्यम से, भाग II मूल्य बोली खोलने की तारीख की सूचना दी जाएगी।

10. निविदा में संशोधन और स्पष्टीकरण

क. प्रस्ताव के मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक अपने विवेक पर, बोलीकर्ताओं से उनके प्रस्ताव पर स्पष्टीकरण मांग सकता है। बोलीकर्ताओं को निर्धारित समय-सीमा में जवाब देना आवश्यक है। तथापि , स्पष्टीकरण मांगे जाने को प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं माना जा सकता ।

ख. भा रि बैं किसी भी कारण से, समय-समय पर निविदा दस्तावेज़ में संशोधन कर सकता है। निविदा दस्तावेज में संशोधन(नों) को स्पष्ट रूप से बताया जाएगा और बोलीकर्ताओं को ऐसे संशोधनों के कारण अपने प्रस्ताव में संशोधन करने के लिए कहा जा सकता है।

11. मूल्यांकन प्रक्रिया

भारिबैं तकनीकी बोली के मूल्यांकन के लिए तकनीकी-वाणिज्यिक (टेक्नो कमर्शियल) मूल्यांकन पद्धति को नियोजित करेगा, जिसमें तकनीकी स्कोर को 40% और वाणिज्यिक स्कोर को 60% भारांक दिया जाएगा। तकनीकी-वाणिज्यिक मूल्यांकन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए बोलीकर्ताओं को तकनीकी मूल्यांकन में न्यूनतम 60 अंक प्राप्त करने होंगे।

क. <u>तकनीकी मूल्यांकन पत्रक</u>

तकनीकी मूल्यांकन (100 अंकों में से) निम्नलिखित मानकों पर आधारित होगा:

विवरण	भारांक
1. एयरलाइंस की संख्या जिनके लिए बोलीकर्ता प्रत्यक्ष एजेंट है	10
2. संस्थानों की संख्या जिनके साथ एजेंसी सूचीबद्ध है	10
3. पिछले 3 वित्तीय वर्षों में एजेंसी द्वारा अर्जित शुद्ध लाभ	10
4. भारिबैं में नामित व्यक्ति को मौके पर प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस) का प्रावधान	15
5. 365 दिन 24 घंटे सेवा के लिए समर्पित हेल्पलाइन / टोल फ्री हेल्पलाइन की सहायता	15
6. विदेशी मुद्रा सुविधाएं / विदेशी मुद्रा लाइसेंस	10
7. रेलवे बुकिंग के लिए प्रावधान	10
8. भा रि बैं की आवश्यकता के अनुसार एसबीटी का प्रावधान और उस पर प्रभार	10
9. वीज़ा सहायता - वीज़ा के लिए दस्तावेजों को एकत्र करना आदि।	10
कुल अंक	**100**

ख. <u>कीमत मूल्यांकन पत्रक</u>

क्रम सं.	लेन-देन (ट्रांजेक्सन) का प्रकार	तुलाई गुणांक (वेइंग कोएफ़िसिएंट) (क)	इकाई दर अंकों में बोलीकर्ता द्वारा ऑनलाइन इंदराज की जाए (ख)
क.	टिकिट लेने (घरेलू इकोनोमी / प्रीमियम इकोनोमी / बिजनेस क्लास) पर प्रति लेनदेन सेवा प्रभार	50	
ख.	टिकिट लेने (अंतर्राष्ट्रीय इकोनोमी/ प्रीमियम इकोनोमी / बिजनेस क्लास) पर प्रति लेनदेन सेवा प्रभार	20	

ग.	हवाई यात्रा के लिए रद्द करने का प्रभार	**10**	
घ.	वीज़ा सहायता	**10**	
ङ.	विमान तक बैंक के शीर्ष अधिकारियों से मिलने और सहायता करने की सुविधा	**5**	
च.	रेल टिकिट लेने पर सेवा प्रभार	**5**	
	कुल (ग)	**100**	

भारतीय रिज़र्व बैंक प्रस्तावों की संवीक्षा, उनके मूल्यांकन और तुलना में सहायता के लिए अपने विवेक पर कुछ या सभी बोलीकर्ताओं से स्पष्टीकरण मांग सकता है। इस तरह के स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध और प्रतिक्रिया आवश्यक रूप से लिखित में होगी। बोली प्रक्रिया के किसी भी चरण में यदि आवश्यक हो, तो भारतीय रिज़र्व बैंक, सेवा प्रदाताओं को अपनी सेवा प्रदर्शित करने और/या सेवा प्रदाता की स्थापना का निरीक्षण करने के लिए कह सकता है ।

<u>तकनीकी-वाणिज्यिक बोली का मूल्यांकन</u>

भारतीय रिज़र्व बैंक बोलियों के मूल्यांकन के लिए तकनीकी-वाणिज्यिक मूल्यांकन पद्धति का उपयोग करेगा। भा रि बैं बोलीकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकन समिति का गठन कर सकता है जो प्रस्तावों की विस्तृत संवीक्षा करेगी। निविदा दस्तावेज में दी गईं शर्तों के अधीन, विक्रेताओं द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए, जैसा कि नीचे बताया गया है, दो चरण की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा।

तकनीकी मूल्यांकन बोलीकर्ताओं द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत तकनीकी बोली के आधार पर किया जाएगा और उनका मूल्यांकन तकनीकी योग्यता मूल्यांकन मैट्रिक्स में इंगित कुछ मापदंडों के आधार पर किया जाएगा। तकनीकी-वाणिज्यिक मूल्यांकन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए बोलीदाकर्ताओं को तकनीकी मूल्यांकन में 100 अंकों में से न्यूनतम 60 अंक प्राप्त करने होंगे। तकनीकी स्कोर के लिए 40% भारांक और वाणिज्यिक (मूल्य) स्कोर के लिए 60% भारांक होगा।

तकनीकी-वाणिज्यिक बोली के लिए फॉर्मूला = (टी/टी $_{\text{हाइ}}$) * 0.4 + (सी $_{\text{लो}}$ /सी) * 0.6

टी $_{\text{हाइ}}$ ऐसे योग्य बोलीकर्ता का तकनीकी स्कोर है, जिसने तकनीकी मूल्यांकन में सर्वोच्च अंक प्राप्त किया है। **सी** $_{\text{लो}}$ ऐसे योग्य बोलीकर्ता का स्कोर है, जिसने वाणिज्यिक (मूल्य) मूल्यांकन में सबसे कम स्कोर प्राप्त किया है। संविदा (ठेका) तकनीकी-वाणिज्यिक मूल्यांकन में उच्चतम स्कोर रखने वाले बोलीकर्ता को दिया जाएगा। यदि कुल स्कोर पर बराबरी है, तो कम वाणिज्यिक (मूल्य) स्कोर पर विचार करके बराबरी को तोड़ दिया जाएगा।

पहली चयनित सूची पात्रता मानदंड का उपयोग करके बनाई जाएगी। बोलीकर्ताओं को पात्रता मानदंड को पूरा करने के प्रमाण के रूप में दस्तावेजों को प्रस्तुत करना आवश्यक है। केवल वे बोलीकर्ता जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, पर बोलियों की आगे की प्रक्रिया हेतु विचार किया जाएगा।

पात्र बोलीकर्ताओं की तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन यह निर्धारित करने के लिए किया जाएगा कि वे सभी विशिष्टताओं को पूरा करते हैं या नहीं। इस स्तर पर तकनीकी बोलियों में विचलन के मामले में किसी भी स्पष्टीकरण / सुधार के लिए लिखित रूप में बुलाया जाएगा। निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर इसे जमा करने में विफलता के परिणामस्वरूप बोली अयोग्य हो सकती है।

तकनीकी-वाणिज्यिक मूल्यांकन (टीसीइ) में उच्चतम स्कोर वाले बोलीदाता द्वारा उद्धृत मूल्य को L1 माना जाएगा। इन दरों को टीसीइ के अवरोही क्रम तीन विक्रेताओं को प्रस्तावित किया जाएगा, बशर्ते वे L1 विक्रेता द्वारा उद्धृत कीमतों पर सेवाएं प्रदान करने के इच्छुक हों। यदि इनमें से कोई भी विक्रेता इच्छुक नहीं है, तो शेष विक्रेताओं को उसी क्रम में प्रस्ताव दिया जाएगा।

12. कार्य प्रदान करना

क. एजेंसी कम से कम लागत के आधार पर टिकट बनाएगी। आवश्यकता में किसी भी परिवर्तन को प्राथमिकता से संबोधित किया जाना चाहिए।

ख. वीज़ा / पासपोर्ट प्राप्त करने में सहायता के लिए, वीएफएस केंद्रों द्वारा अनुमोदित / निर्धारित दरों पर वीएफएस सेवा प्रभार का भुगतान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किया जाएगा।

ग. किसी वैकल्पिक प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।

घ. सभी अपेक्षित जानकारी देने में विफलता और/या मिथ्या/गलत जानकारी देने और/या बोली दस्तावेज के प्रत्येक मामले में अपर्याप्त रूप से उत्तरकारी प्रस्ताव प्रस्तुत करना बोलीकर्ता के जोखिम पर होगा और इसके परिणामस्वरूप उसकी बोली को अस्वीकार किया जा सकता है।

ङ. एजेंसी को निविदा विनिर्देश और संविदा के सभी नियमों और शर्तों का पालन करना चाहिए। जब तक विशेष रूप से बोली में उल्लेख नहीं किया गया हो तब तक संविदा के नियमों और शर्तों में कोई विचलन नहीं होगा।

च. एजेंसी को सभी केंद्रीय और राज्य कानूनों जैसा नियमों/ विनियमों / उपविधियों और स्थानीय प्राधिकारियों और सांविधिक निकायों के आदेशों में दिया हो और जो संविदा की अवधि के दौरान समय-समय पर लागू हों का अनुपालन करना चाहिए ।

छ. सेवा प्रदाता भा रि बै को सेवाएं प्रदान करने के लिए तैनात व्यक्तियों के संबंध में सभी केंद्रीय और राज्य कानूनों, विभिन्न करों (आयकर, आदि), श्रम और औद्योगिक कानूनों, जैसे कि न्यूनतम मजदूरी, मुआवजा, ईपीएफ, बोनस, ग्रेच्युटी आदि जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर (आर ए) एक्ट 1970, कॉन्ट्रैक्ट लेबर (विनियमन और उन्मूलन) केंद्रीय नियम, 1971; बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (केंद्रीय) नियम, 1950; मजदूरी का भुगतान

अधिनियम, 1936; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; कर्मचारी देयता अधिनियम, 1938; कर्मकार मुआवजा अधिनियम, 1923; औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947; मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, और अधिकार क्षेत्र में लागू राज्य / केंद्र सरकार, / नगर निगम के किसी भी अन्य अधिनियम / नियम आदि के प्रावधानों के अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

ज. यात्रा एजेंसी बैंक की लिखित सहमति/अनुमोदन के बिना संविदा या उसके किसी भी हिस्से का समनुदेशन नहीं करेगी । यात्रा एजेंसी बैंक की लिखित सहमति के बिना किसी काम या उसके किसी हिस्से को उप-ठेके पर नहीं देगी और यदि यह सहमति दी भी गई हो तो भी उससे एजेंसी संविदा के सफलतापूर्वक निष्पादन से मुक्त नहीं होगी ।

झ. संविदा अवधि के दौरान आईएटीए के पंजीकरण प्रमाणपत्र वापस लेने या रद्द करने से स्वचालित रूप से भा रि बैंक के साथ संविदा रद्द हो जाएगी ।

13. भुगतान की शर्तें

(क) यात्रा एजेंसी 30 दिनों (तीस दिनों) की क्रेडिट सुविधा प्रदान करेगी और बिल मासिक आधार पर प्रस्तुत किए जाएंगे। यात्रा एजेंसी द्वारा संविदा के अनुसार बिल प्रस्तुत किए जाएंगे। संबंधित दस्तावेजों के साथ (क्रेडिट नोट / टिकट रद्द करना आदि) सभी तरीकों से पूर्ण समेकित और सही बिल यात्रा एजेंसी द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित कार्यालयों / विभागों को प्रस्तुत किए जाएंगे जिनका सभी सांविधिक कटौती के अधीन केवल ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा । यात्रा एजेंसी को कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।

(ख) एजेंसी के बिलों से आयकर कटौती / सांविधिक कटौती, जो लागू हो, सरकारी नियमों / अधिनियमों के अनुसार की जाएगी।

(ग) लागू करों (वस्तु एवं सेवा कर, आदि) का यात्रा एजेंसी को अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा, बशर्ते कि इसे चालान में अलग से दिखाया गया हो। सभी इनवाइस में जीएसटी नंबर दिया होना चाहिए ।

14. कार्य निष्पादन

भा रि बैंक नियमित अंतराल पर, एजेंसी के समग्र कार्य निष्पादन का आकलन किए गए कार्य की समय-अनुसूची का पालन और गुणवत्ता के आधार पर करेगा और इसे आगे कार्य प्रदान करने के बारे में निर्णय लेगा। यदि एजेंसी का कार्य निष्पादन असंतोषजनक पाया जाता है, तो भा रि बैंक यात्रा एजेंसी के साथ संविदा समाप्त कर सकता है।

15. हितों का टकराव

(क) चयनित फर्म / एजेंसी को पेशेवर, वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष सेवा प्रदान करनी चाहिए और भा रि बैंक के हित को सर्वोपरि रखना चाहिए।

(ख) चयनित फर्म/एजेंसी कार्य क्षेत्र के किसी भी हिस्से को डाउनस्ट्रीम या आउटसोर्स नहीं करेगी। हालाँकि चयनित इकाई संविदागत आधार पर अपेक्षित विशेषज्ञता के पेशेवरों को साथ ले सकती है।

(ग) इस तरह के संगम के गैर-प्रकटीकरण से एजेंसी की समाप्ति हो जाएगी।

16. संविदा की समाप्ति

भारतीय रिज़र्व बैंक अपने पूर्ण विवेक पर निम्नलिखित कारणों को शामिल करते हुए परंतु उन सीमित नहीं किसी भी कारण से संविदा को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है :

(क) यदि यात्रा (ट्रैवल) एजेंसी को सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया गया हो या उसने दिवालिया होने के लिए प्रार्थनापत्र दिया हो या सक्षम न्यायालय द्वारा यात्रा एजेंसी कंपनी को समापन आदेश दिया हो।

(ख) यात्रा एजेंसी भा रि बैं के साथ इस संविदा की शर्तों का कोई तात्विक भंग करती है या यदि संविदा के कार्य निष्पादन में उसे किसी भी कदाचार के लिए दोषी पाया जाता है।

(ग) यदि यात्रा एजेंसी के खिलाफ सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई चार्जशीट दायर की जाती है या यात्रा एजेंसी को आपराधिक अदालत द्वारा नैतिक अधमता के आधार पर दोषी ठहराया जाता है।

(घ) यात्रा एजेंसी की ओर से असंतोषजनक सेवा या विफलता की स्थिति में या यदि एजेंसी नियत तत्परता या शीघ्रता से कार्य निष्पादित करने की उपेक्षा करती है या भा रि बैंक द्वारा कार्य के संबंध में उसे दिए गए किसी भी उचित आदेश का पालन करने से मना कर देती है या उपेक्षा करती है या संविदा के प्रावधानों का उल्लंघन करेगी तो भा रि बैंक के पास संविदा को रद्द घोषित करने का विकल्प होगा और वह यात्रा एजेंसी के जोखिम और लागत पर किसी भी वैकल्पिक स्रोतों द्वारा कार्य निष्पादित करा सकता है। ऐसी स्थिति में संविदा के ऐसे पर्यवसान के परिणामस्वरूप यात्रा एजेंसी के पास भा रि बैंक के खिलाफ कोई भी दावा नहीं होगा। संविदा को समाप्त करने का भा रि बैंक का निर्णय अंतिम होगा और यात्रा एजेंसी पर बाध्यकारी होगा।

(ङ) खंड 16 (ख), 16 (ग) या खंड 16 (घ) के तहत संविदा की समाप्ति की स्थिति में, प्रतिभूति जमा को जब्त कर लिया जाएगा और यात्रा एजेंसी का इस संबंध में कोई दावा नहीं रहेगा।

17. संविदा को उप-ठेके पर देना

यात्रा एजेंसी भारतीय रिज़र्व बैंक की लिखित पूर्व सहमति के बिना संविदा या उसके किसी भी हिस्से को उप-ठेके पर नहीं देगा या उसमें या उसके अधीन अपने फायदा या हितों का समनुदेशन नहीं करेगा और इस तरह की कोई अनुमति यात्रा एजेंसी को संविदा के अंतर्गत किसी दायित्व या बाध्यता से अवमुक्त नहीं करेगी और वह अपने एजेंटों, नौकरों या काम करने वालों के कृत्यों / चूक और उपेक्षाओं के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी जैसे कि वे ट्रैवल एजेंसी के कार्य, चूक या उपेक्षा थी ।

18. संविदा का पुरोबंध करना

भा रि बैंक को संविदा के कार्यकाल के दौरान बिना कोई कारण, जो कोई भी हो, बताए तथा यात्रा एजेंसी के नुकसान के दावे के बिना संविदा को पुरोबंध करने के अपने इरादे की यात्रा एजेंसी को कम से कम तीस दिनों का नोटिस देकर, किसी भी समय संविदा को पुरोबंध करने का अधिकार होगा। यात्रा एजेंसी भी भा रि बैंक को कम से कम तीन महीने की अग्रिम सूचना देकर बिना कोई कारण बताए संविदा पुरोबंध कर सकती है।

19. अन्य नियम और शर्तें

(क) सभी घरेलू हवाई और रेलवे टिकटों के रद्दीकरण शुल्क का भुगतान संबंधित एयरलाइंस के साथ किए गए समझौते/प्रतिमानकों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय हवाई टिकट के सभी वर्गों की वैधता अवधि का टिकट पर विधिवत उल्लेख किया जाए।

(ग) यदि विदेश यात्रा के दौरान किसी भी क्षेत्र के लिए एयर टिकट कूपन अप्रयुक्त रहता (ते) हैं तो उसे रिफंड के लिए एजेंसी को दिया जाएगा और एजेंसी भा रि बैंक को रिफंड की व्यवस्था करेगी।

(घ) हवाई यात्रा / ट्रेन यात्रा के लिए बुकिंग भी भा रि बैंक के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा टेलीफोन पर एजेंसी को दी जा सकती है और एजेंसी द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर इसकी व्यवस्था की जाएगी। एजेंसी भारतीय रिजर्व बैंक में या यदि आवश्यक हो, कर्मचारियों के निवास पर समय पर टिकट वितरित करेगी और किसी भी बदलाव या रद्द होने की स्थिति में एजेंसी टिकट के संग्रह की व्यवस्था करेगी और भारतीय रिजर्व बैंक / प्राधिकृत अधिकारी के निर्देशानुसार आवश्यक कार्रवाई करेगी।

(ङ) यात्रा एजेंसी को **सभी** पात्रता मानदंडों के प्रमाण के रूप में सम्बद्ध दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

(च) पात्र यात्रा एजेंसियों को 19 जून, 2019 को 1700 बजे तक संबंधित दस्तावेजों के साथ अपने आवेदन ऑनलाइन जमा करने होंगे। उन्हें प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की मूल प्रतियों को संरक्षित रखना और बैंक द्वारा किसी भी समय सत्यापन के लिए तैयार रखना आवश्यक है।

(छ) तकनीकी बोली (निविदा के भाग I) को 20 जून, 2019 को 1500 बजे खोला जाएगा। वाणिज्यिक बोली (निविदा का भाग II) केवल उन्हीं निविदाओं के लिए किसी बाद के कार्यदिवस, जिसकी सूचना सभी पात्र निविदाकर्ताओं को दी जाएगी, पर खोली जाएंगी, जिन्हें उनकी निविदा के भाग I की जांच के बाद योग्य पाया जाता है ।

(ज) निविदाकर्ताओं को दरों में भरने के लिए केवल भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी/डाउनलोड किए गए फॉर्म का उपयोग करना चाहिए। निविदा फॉर्म हिंदी/अंग्रेजी में भरा जाना चाहिए। यदि कोई भी दस्तावेज कम या अहस्ताक्षरित है, तो भारिबैं द्वारा अपने विवेक से निविदा को अमान्य माना जा सकता है। निविदा दाखिल करते समय किए गए सभी विलोपन और परिवर्तन को निविदाकर्ता द्वारा अपने आद्यक्षर से सत्यापित किया जाना चाहिए। आंकड़ों पर उपरिलेखन की अनुमति नहीं है। इनमें से किसी भी शर्त का पालन करने में विफलता भारतीय रिज़र्व बैंक के विकल्प पर निविदा शून्य को मान लिया जाएगा। निविदा के भाग II को खोलने के बाद नियम और शर्तों में किसी भी बदलाव

के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। उद्धृत दरें 30 जून, 2022 तक बिना किसी भी वृद्धि के बाध्यकारी होंगी ।

(झ) सफल निविदाकर्ता स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर मुद्रांकित कागज पर भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ एक करार निष्पादित करेगा। हालांकि, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृति पत्र जारी करने को एक बाध्यकारी संविदा के रूप में माना जाएगा, जैसे कि एक करार निष्पादित किया गया हो और इसमें वर्णित सभी नियम और शर्तें संविदा पर लागू होंगी।

(ञ) यात्रा एजेंसियों को तत्काल पूर्ववर्ती महीने, जो भी लागू हो, के दौरान कि गई सभी बुकिंग के लिए अपने बिल भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों / केंद्रीय कार्यालय विभागों / प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में बुकिंग के प्रमाण के साथ हर महीने के 10 वें दिन या उससे पहले जमा करने होंगे, जहाँ से टिकटों की बुकिंग के लिए अनुरोध किया गया हो ।

(ट) भारतीय रिज़र्व बैंक किसी भी समय यात्रा एजेंसी के संबद्ध रिकॉर्ड को सत्यापित करने का अधिकार रखता है और यात्रा एजेंसी भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकारियों के साथ सहयोग करेगी।

(ठ) इच्छुक निविदाकर्ता निविदा खोलने की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। प्रत्येक यात्रा एजेंसी से केवल एक प्रतिनिधि को निविदा खोलने के दौरान उपस्थित रहने की अनुमति दी जाएगी।

(ड) भा रि बैंक किसी भी कारण से या बिना कोई कारण बताए सेवा प्रदाताओं को 30 दिनों का नोटिस जारी करके इस निविदा में उल्लिखित अवधि की समाप्ति से पहले व्यवस्था को बंद कर सकता है और इस तरह की समय पूर्व समाप्ति के लिए हर्जाना/ क्षतिपूर्ति का दावा नहीं कर सकता है।

(ढ) भा रि बैंक द्वारा दावा, यदि कोई हो, लिखित में किया जाएगा - (क) संबंधित बिल के भुगतान की तारीख से 30 दिनों के भीतर, यदि दावा अतिरिक्त भुगतान, क्षति (सामान आदि) या देरी (उड़ान) से संबंधित है, (बी) भा रि बैंक द्वारा दर्ज किए गए ऐसे किसी भी दावे को सेवा प्रदाता द्वारा एक महीने की अवधि के भीतर निपटाया जाएगा।

(ण) प्रस्ताव तकनीकी बोली खोलने की तिथि से तीन महीने की न्यूनतम अवधि के लिए वैध होना चाहिए।

(त) अनुलग्नकों सहित बोली के सभी पृष्ठों को क्रमांकित किया जाना चाहिए (मुद्रित पर्ची / कैटलॉग को छोड़कर) और बोलीकर्ता द्वारा या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विधिवत भरा, हस्ताक्षरित और मुद्रांकित होना चाहिए। सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर और मुहर के बिना प्राप्त प्रस्ताव अस्वीकार किए जाने योग्य हैं।

(थ) बोलीकर्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे बदलावों, यदि कोई हो, जिन्हें बाद में इस निविदा के संबंध में अपलोड किया जा सकता है, के लिए निविदा साईट www.rbi.org.in को बदलाव जमा करने की नियत तारीख से पहले, नियमित रूप से देखें ।

(द) यदि संविदा को यात्रा एजेंसी की ओर से किसी कार्य/चूक के कारण, समय से पहले समाप्त कर दिया जाता है, तो उसे तीन महीने की अवधि के लिए या भा रि बैंक द्वारा नए सेवा प्रदाता की नियुक्ति जो भी पहले हो, के लिए अस्थायी व्यवस्था करनी होगी।

(ध) अगर कोई भी सूचीबद्ध यात्रा एजेंसी भारिबैं द्वारा उद्धरण / पूछताछ का तीन अवसरों पर जवाब नहीं देती है, तो भारिबैं इस तरह की यात्रा एजेंसी को बिना किसी नोटिस के सूची से हटा सकता है।

(न) भारिबैं किसी भी समय किसी भी यात्रा एजेंसी से स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार रखता है।

(प) भारिबैं तकनीकी-वाणिज्यिक मूल्यांकन के आधार पर, जैसा उचित समझे एक से अधिक यात्रा एजेंसी को सूचीबद्ध करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। प्रत्येक श्रेणी में न्यूनतम दर तकनीकी रूप से योग्य बोलीकर्ताओं से प्राप्त कोटेशन के आधार पर निर्धारित की जाएगी। एजेंसियां, चार से अधिक नहीं, जो निर्धारित दरों पर अपनी सेवाओं देने के लिए इच्छुक हैं, को सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव दिया जाएगा । प्रत्येक श्रेणी में सबसे कम बोली मूल्य (सेवा कर को छोड़कर सभी करों को मिलाकर) के आधार पर या भा रि बैंक द्वारा तय की जाने वाली किसी अन्य कीमत के आधार पर प्रस्ताव को जारी करने की तारीख से सात दिनों के भीतर स्वीकार करना होगा। इस अवधि के भीतर प्रस्ताव को स्वीकार करने में विफलता के परिणामस्वरूप प्रस्ताव स्वतः रद्द हो जाएगा।

(फ) जिस विक्रेता का वाणिज्यिक प्रस्ताव, सबसे कम मूल्यांकित प्रस्ताव निर्धारित किया जाता है उसे उस मद के लिए एल 1 कहा जाएगा और उसे सूचीबद्ध किया जाएगा। दूसरों को उनकी वाणिज्यिक बोली के बढ़ते क्रम में उस मद के लिए एल 2, एल 3, एल 4 आदि का स्थान दिया जाएगा। बैंक एल 2 को पहले प्रस्ताव दिया जाएगा, उसके बाद एल 3 को, फिर एल 4 को और आगे इसी प्रकार आरोही क्रम में। भारतीय रिजर्व बैंक को यात्रा सेवाएं प्रदान करने के लिए एल 1 द्वारा प्रस्तावित दर से बराबरी करने का मौका दूसरों को दिया जाएगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक कि बैंक को एल 1 मूल्य पर सभी चार विक्रेता नहीं मिल जाते। अगर जरूरत हो तो बैंक कुछ मदों के लिए चार से अधिक विक्रेताओं को सूचीबद्ध करने का अधिकार रखता है।

(ब) यात्रा एजेंसी से यह अपेक्षित है कि वह भारिबैं द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में मासिक आधार पर या समय-समय पर भारिबैं द्वारा तय आवृत्ति पर बुकिंग पर प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस) प्रस्तुत करे ।

(भ) सभी विवादों को आपसी चर्चा के माध्यम से सुलझाया जाएगा। यदि मामले आपसी विचार विमर्श के माध्यम से नहीं सुलझते हैं तो मामले को विवाचन के लिए भेजा जाएगा।

(म) यात्रा एजेंसी सूचीबद्ध किए जाने से उसे /उन्हें व्यवसाय के लिए दावा करने का अधिकार नहीं होगा और भारतीय रिज़र्व बैंक, यदि चाहे तो अन्य यात्री एजेंटों की सेवाओं का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(य) चयन किए जाने पर यात्रा एजेंसी के साथ निष्पादित किए जाने वाले करार को महाराष्ट्र स्टांप अधिनियम के अनुसार स्टांपित किया जाएगा और स्टांप शुल्क यात्रा एजेंसी द्वारा वहन किया जाएगा।

20. शास्ति (दंड)

(क) फ्लाइट / ट्रेन के रिपोर्टिंग टाइम से काफी समय पहले या अपेक्षित समय के भीतर टिकट(टें) देने में यात्रा एजेंसी की ओर से विफलता के परिणामस्वरूप भारतीय रिज़र्व बैंक के कर्मचारी की यात्रा रद्द होने के मामले में, हवाई टिकटों को रद्द करने पर एयरलाइन द्वारा लगाए गए सभी निरसन प्रभार यात्रा एजेंसी को वहन करने होंगे और इसके अतिरिक्त भारतीय रिज़र्व बैंक को रुपये 1000/- (एक हजार रुपए मात्र) का दंड देना होगा। ऐसे मामले में, लेन-देन पर सेवा प्रभार के लिए यात्रा एजेंसी हकदार नहीं होगी।

(ख) निष्पादन प्राधिकारी द्वारा संचारित सूचना के इतर नाम / उड़ान / ट्रेन / यात्रा की तारीख आदि की एजेंसी द्वारा गलत प्रविष्टि के परिणामस्वरूप हवाई / रेलवे टिकट के संशोधन के कारण एयरलाइन / रेलवे द्वारा लगाए गए सभी निरसन/संशोधन प्रभार एजेंसी द्वारा वहन किए जाएंगे। ऐसी स्थिति में, यात्रा एजेंसी लेन-देन पर सेवा प्रभार के लिए हकदार नहीं होगी।

(ग) अनुदेशानुसार हवाई / ट्रेन टिकट रद्द करने में एजेंसी की ओर से किसी भी विफलता के मामले में, केवल निरसन प्रभार जो लागू हो, भा रि बैंक द्वारा यात्रा एजेंसी को भुगतान किया जाएगा।

(घ) समय पर यात्रा कार्यक्रम के अनुसार हवाई / ट्रेन टिकट बुक करने और वितरित करने में एजेंसी की ओर से किसी भी विफलता के मामले में, अन्य स्रोतों से हवाई / ट्रेन टिकटों की खरीद के लिए अतिरिक्त लागत, यदि कोई हो, एजेंसी के चालू बिलों से वसूल की जाएगी। ऐसी विफलता संविदा की समाप्ति आमंत्रित करती है ।

21. धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार

यह आवश्यक है कि प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले बोलीकर्ता और इस निविदा के माध्यम से चुनी गई एजेंसी चयन की प्रक्रिया के दौरान और कार्य-आदेश के पालन और निष्पादन के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानकों का अनुसरण करें।

इस प्रयोजन के लिए, शब्दों की परिभाषा निम्नानुसार है:

(क) "भ्रष्ट अभ्यास" का अर्थ है कार्य-आदेश के निष्पादन में भारतीय रिज़र्व बैंक या उसके कर्मियों की कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए मूल्यधारित कुछ भी प्रस्तावित करना, देना, प्राप्त करना या याचना करना।

(ख) "धोखाधड़ी का अभ्यास" का अर्थ चयन प्रक्रिया या कार्य आदेश के निष्पादन को प्रभावित करने के लिए तथ्यों की गलत व्याख्या करना है और इसमें बोलीकर्ताओं द्वारा (प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से पहले या बाद में) कृत्रिम रूप से उच्च या गैर-प्रतिस्पर्धी स्तरों पर प्रस्ताव की कीमतों को

स्थापित करने के उद्देश्य से और मुक्त और खुली प्रतिस्पर्धा के लाभों से भा रि बैंक को वंचित करने हेतु मिलीभगत करना शामिल है ।

(ग) "अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस" का अर्थ है, जो कार्य करने का आदेश दिया गया है उससे भिन्न सेवाएं प्रदान करना या कार्यक्षेत्र में परिवर्तन करना ।

(घ) "प्रपीड़क अभ्यास" का अर्थ है, चयन प्रक्रिया या कार्य आदेश के निष्पादन में अपनी भागीदारी को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तियों या उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या पहुंचाने की धमकी देना।

(ङ) भा रि बैंक अगर यह निश्चय करता है कि संविदा दिए जाने के लिए अनुशंसित बोलीकर्ता को भ्रष्ट, धोखाधड़ी या अनुचित व्यापार प्रथाओं में संलग्न होने के लिए निर्धारित किया गया है तो वह संविदा दिए जाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा।

(च) भारतीय रिज़र्व बैंक किसी फर्म / एजेंसी को अनिश्चित काल या बताई गई समयावधि के लिए कार्य -आदेश प्रदान करने के लिए अयोग्य घोषित करेगा, यदि वह किसी भी समय यह निश्चित करता है कि फर्म / एजेंसी कार्य आदेश प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा में या कार्य आदेश निष्पादित करने में भ्रष्ट, धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार अभ्यास में संलिप्त रही है।

22. क्षेत्राधिकार

(क) घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई टिकटिंग और अन्य संबंधित सेवाओं के लिए यात्रा एजेंसी को सूचीबद्ध करने हेतु संविदा भारत के कानून के अनुसार शासित और निर्वचित की जाएगी। संविदा से उत्पन्न किसी भी मामले को संज्ञान में लेने और कार्रवाई करने हेतु मुंबई की अदालत का विशेष क्षेत्राधिकार होगा।

(ख) **अपरिहार्य घटना** जैसे, दैवकृत्य कार्य, सरकारी अधिनियम, सार्वजनिक शत्रु के कार्य, युद्ध, शत्रुता, नागरिक हंगामा, रुकावट, तोड़फोड़, दंगे, आग, बाढ़, भूकंप, विस्फोट, महामारी, हड़ताल और वैध तालाबंदी या किसी भी पार्टी के नियंत्रण से परे कुछ भी (चाहे भारत में घटे या कहीं और) से दायित्वों के निष्पादन में किसी भी देरी अथवा विफलता के लिए कोई पार्टी उत्तरदायी नहीं होगी । इस तरह की किसी भी देरी को कम करने के लिए सभी पक्षकार सभी उचित प्रयास करेंगे। इस घटना, जिसके कारण देरी हुई, की समाप्ति पर, सभी पक्षकार उन परिस्थितियों में यथाव्यावहारिक, नियमों और शर्तों में दिए अनुसार, उनसे संबंधित दायित्वों को पूरा करेंगे ।

23. मध्यस्थता

समझौते पर हस्ताक्षर करने के कारण पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले या निर्माण, अर्थ, कार्यक्षेत्र, संचालन या प्रभाव से संबंधित कोई भी विवाद, मतभेद, चाहे जो भी हो, का एजेंसी के सूचीबद्ध होने के बाद, भा रि बैंक और यात्रा एजेंसी के बीच सौहार्दपूर्वक निपटारा किया जाएगा। हालाँकि, यदि भारिबैं और यात्रा एजेंसी, अपने विवाद / मतभेदों को ऊपर दिए अनुसार सौहार्दपूर्वक हल करने में सक्षम नहीं होते हैं तो उक्त विवाद / मतभेदों को भारिबैं

द्वारा नियुक्त / नामित किए जाने वाले एकल मध्यस्थ द्वारा मध्यस्थता की प्रक्रिया के माध्यम से सुलझाया जाएगा। इस तरह की मध्यस्थता कार्यवाही का स्थान, यदि कोई हो, मुंबई में भारिबैं के केंद्रीय कार्यालय में होगा और मध्यस्थता की लागत पार्टियों द्वारा समान रूप से वहन की जाएगी। पंचाट सुलह अधिनियम, 1996 और तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों और इसमें कोई संशोधन के प्रावधान इस तरह की मध्यस्थता कार्यवाही पर लागू होंगे । एकमात्र मध्यस्थ का निर्णय सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। समझौते या पंचाट कार्यवाही के बकाया रहने के दौरान दोनों पक्ष (यानी यात्रा एजेंसी और भारिबैं) समझौते के अनुसार अपने दायित्वों को निभाते रहेंगे। भारिबैं और एजेंसी को विवाद के सभी मामलों के लिए मुंबई की अदालत के अनन्य क्षेत्राधिकार (अन्य सभी अदालतों को छोड़ कर) के लिए सहमत होना चाहिए।

24. यौन उत्पीड़न से संबंधित प्रावधान

क) संविदाकार / एजेंसी "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। बैंक के परिसर के भीतर अपने कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, संविदाकार / एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष शिकायत दर्ज की जाएगी और संविदाकार / एजेंसी उक्त अधिनियम के अधीन उक्त शिकायत के संबंध में उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

ख) बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ संविदाकार के किसी भी पीड़ित कर्मचारी से यौन उत्पीड़न की कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर भा रि बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान में लिया जाएगा।

ग) संविदाकार किसी भी मौद्रिक क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार होगा, जिसे उस स्थिति में भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें संविदाकार का कर्मचारी शामिल है, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी को किसी भी मौद्रिक राहत, अगर संविदाकार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित होती है।

घ) कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में अपने कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए संविदाकार जिम्मेदार होगा।

ङ) संविदाकार अपने कर्मचारियों की एक पूर्ण और अद्यतन सूची प्रदान करेगा जो बैंक के परिसर में तैनात हैं।

भरे और अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों को जमा करने की चेक लिस्ट

(पूर्व-योग्यता मानदंड के रूप में आवश्यक)

क्रम सं	मद	सूचना भरी जाए
1.	एजेंसी का नाम और पता, टेलीफोन नंबर, फैक्स, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी	
2.	टूर एंड ट्रेवल्स के क्षेत्र में अनुभव (कृपया प्रमाण के लिए दस्तावेज अपलोड करें)	
3.	संगठन का प्रकार (क्या प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है) (कृपया दस्तावेज / साक्ष्य अपलोड करें)	
4.	अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ की पंजीकरण संख्या (पंजीकरण की प्रति अपलोड करें)	
5.	24 घंटे हेल्पलाइन नंबर	
6.	पिछले 3 वर्षों के लिए वार्षिक कारोबार: 2015-16: 2016-17: 2017-18: 2018-19: (कृपया दस्तावेजी साक्ष्य अपलोड करें)	
7.	पिछले तीन वर्षों के दौरान क्षेत्र में इसी तरह के काम का अनुभव : बोलीकर्ता ने पिछले 3 (तीन) वर्षों में समान कार्य के कम से कम 3 (तीन) आदेशों को निष्पादित किया हो, जिसमें से 1 (एक) आदेश सरकारी विभाग/ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्‌यम / पब्लिक या प्राइवेट लि कंपनी, जो एक संगठन में 5 करोड़ या उससे अधिक मूल्य की हो या पिछले 3 (तीन) वित्तीय वर्षों में 2 (दो) संगठनों में प्रत्येक 3 करोड़ से अधिक मूल्य की हो	
8.	वस्तु एवं सेवा कर संख्या (कृपया पंजीकरण की एक प्रति अपलोड और प्रस्तुत करें)	
9.	आयकर स्थायी खाता संख्या (कृपया पैन कार्ड की कॉपी अपलोड और प्रस्तुत करें)	
10.	क्या आईएसओ 27000 अनुपालन/ प्रमाणित है (यदि हाँ, तो प्रमाण के लिए दस्तावेज़ अपलोड करें)	
11.	मुख्य कार्य पालक अधिकारी (सीईओ) / निदेशकों के नाम, उनके पते, शेयरधारिता प्रतिशत, पैन नंबर, संपर्क नंबर	

(क) भा रि बैं अपने विवेक से, बोलीकर्ता (ओं) से अतिरिक्त जानकारी के लिए कॉल कर सकता है। इस तरह की जानकारी निर्धारित समय-सीमा के भीतर दी जानी चाहिए, अन्यथा मूल्यांकन समिति बोलीकर्ताओं के पूर्ण जोखिम और लागत पर अपनी उचित धारणा बनाएगी और प्रस्ताव अस्वीकार

किए जाने के लिए जिम्मेदार है। स्पष्टीकरण मांगने को प्रस्ताव की स्वीकृति के रूप में नहीं माना जा सकता है।

(ख) बोलीकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत जानकारी के सत्यापन के लिए, समिति अपनी लागत पर बोलीदाता के कार्यालयों का दौरा कर सकती है। बोलीकर्ता समिति द्वारा वांछित सभी आवश्यक दस्तावेज, नमूने और संदर्भ जानकारी प्रदान करेंगे। यदि वांछित हो, तो बोलीकर्ता संदर्भों से प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने में समिति की सहायता करेंगे।

(ग) पूर्व-योग्यता मानदंड को पूरा करने वाले बोलीकर्ता तकनीकी बोली और मूल्य बोली के मूल्यांकन के लिए पात्र होंगे।

तकनीकी बोली के लिए फॉर्मेट **भाग - I**

विवरण	बोलीकर्ता द्वारा विवरण भरे जाएँ
1. एयरलाइंस की संख्या जिनके लिए बोलीकर्ता प्रत्यक्ष एजेंट है	
2. संस्थानों की संख्या जिनके साथ एजेंसी सूचीबद्ध है	
3. पिछले 3 वित्तीय वर्षों में एजेंसी द्वारा अर्जित किया गया शुद्ध लाभ	
4. भारतीय रिज़र्व बैंक में नामित व्यक्ति को मौके पर एमआईएस का प्रावधान	
5. 365 दिन 24 घंटे सेवा के लिए समर्पित हेल्पलाइन / टोल फ्री हेल्पलाइन की उपलब्धता	
6. विदेशी मुद्रा सुविधाएं / विदेशी मुद्रा लाइसेंस	
7. रेलवे बुकिंग के लिए प्रावधान	
8. जब कभी भी आवश्यकता हो भा रि बैंक की आवश्यकता के अनुसार एसबीटी का प्रावधान और उस पर प्रभार	
9. वीज़ा सहायता - वीज़ा के लिए दस्तावेजों का संग्रह, आदि	
कुल अंक	

नोट: कृपया उपर्युक्त अपेक्षाओं से संबंधित सहायक दस्तावेज अपलोड करें। तकनीकी मूल्यांकन में अंक ऊपर सूचीबद्ध सभी मापदंडों के लिए विक्रेताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजी प्रमाण के आधार पर प्रदान किए जाएंगे।

<u>मूल्य बोली के लिए फॉर्मेट</u> **<u>भाग – II</u>**

क्रम सं.	**लेनदेन का प्रकार**	**बोलीकर्ता द्वारा अंकों में दर्ज की जाने वाली इकाई दर (यूनिट रेट) (ख)**
क	टिकटिंग (घरेलू इकॉनमी / प्रीमियम इकॉनमी / बिजनेस क्लास) हेतु प्रति लेनदेन पर सेवा प्रभार	
ख	टिकटिंग (अंतर्राष्ट्रीय इकॉनमी / प्रीमियम इकॉनमी / बिजनेस क्लास) हेतु प्रति लेनदेन पर सेवा प्रभार	
ग	हवाई यात्रा के लिए रद्द करने का प्रभार	
घ	वीजा सहायता	
ङ	बैंक के शीर्ष अधिकारियों से मिलने और सहायता करने की सुविधा	
च	रेल टिकट पर सेवा प्रभार	
	कुल (ज)	

ध्यान दें:

1. प्रचलित दरों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अलग से वस्तु एवं सेवा कर और उपकर देय होगा।

2. बोली के प्रस्ताव में सेवा प्रभार दर के अलावा कोई भी नियम और शर्तें, नोट आदि नहीं होने चाहिए।